आदेश की क्रम संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

02.12.2022

नामान्तरण अपील वाद सं0 09/2019–20

रामरूप प्रसाद वगैरह प्रति चाँदनी देवी

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 430/2014–15 में दिनांक 24.12.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध नामांतरण अपील वाद दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब माफ करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। अपील आवेदन पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गयी। प्रत्यर्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित होकर अपना प्रत्युतर दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थीगण विगत कई तिथि से लगातार अनुपस्थित है। फलतः प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के द्वारा ग्राम पिण्डरिया के खाता सं0 04, 01 प्लॉट सं0 441, 442, 599 कुल रकबा 0.32 एकड भूमि का गलत तरीके से प्रत्यर्थी के नाम से नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया है। इस कारण अपीलार्थी यह अपील दायर कर रहे है।

02 भूतपूर्व जमीन्दार रंजीत साव से गुलपति देवी एवं कवलपति साहून ने रकबा 0.80 एकड भूमि क्रय किया तथा लगान रसीद कटती है, कुल रकबा 0.80 एकड़ भूमि में 4 हिस्सेदार है जिसमें प्रत्येक को रकबा 0.20 एकड़ हिस्सा होता है। प्रत्यर्थी के पति दो भाई है दोनों को रकबा 0.10 एकड़ भूमि हिस्सा होता है लेकिन इन्होंने अंचल अधिकारी अंचल निरीक्षक हल्का कर्मचारी को मेल मे लाकर गलत ढंग से अधिक भूमि का नामांतरण करा लिए है।

03 रकबा 0.32 एकड में 04 हिस्सेदार को रकबा 0.08एकड ही हिस्सा होता है उसमें भी रामरूप प्रसाद के दो लडके हुए दोनों को 0.04 एकड हिस्सा होता है लेकिन प्रत्यर्थी के द्वारा अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक, हल्का कर्मचारी को मेल में लाकर रकबा 0.34 एकड़ भूमि का संतोष प्रसाद ने अपनी पत्नी को केवाला कर गलत ढंग से नामांतरण कर दिए है।

04 अंचल अधिकारी रकबा 0.04 एकड़ भूमि के जगह रकबा 0.32 एकड़ भूमि की जो इनके प्रत्यर्थी के हक में नहीं है नामांतरण कर दिए तथा आम इस्तेहार का तामिला भी नहीं कराया गया केवल इस्तेहार पर गलत हस्ताक्षर बनाया हुआ है, इस पर किसी भी अनुसेवक का हस्ताक्षर नहीं है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर [illegible] कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख में आम इस्तेहार के तामिला के लिए कोई तिथि अंकित नहीं है स्थान खाली है। जॉच प्रतिवेदन में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक का कोई मंतव्य नहीं है। इस आधार पर अंचल अधिकारी का आदेश खारिज योग्य है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिकवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी नगर उंटारी के नामान्तरण वाद सं0 430/2014–15 में दिनांक 24.12.2014 को पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 यह अपील ज्ञापन जिस प्रकार से तैयार की गई है वह पोषणीय नहीं है एवं अपील वाद खारिज करने योग्य है।

02 पूर्णतः काल बाधित है एवं अपीलार्थी ने अपील का विलम्ब से दाखिल करने का कोई भी समुचित आधार अगले आवेदन पत्र में उल्लेखित नहीं किया गया है। अपील वाद आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज योग्य है। अपीलार्थी को यह अपील दाखिल करने का कोई वैधानिक हक नहीं हैं।

03 नामान्तरण वाद सं0 430/2014–15 में दिनांक 24.12.2014 को पारित आदेश के विरूद्व अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 22.09.2018 ई0 को यह अपील दाखिल किया गया जो पूर्णतः कालबाधित है एवं विलम्ब से दाखिल करने का जो गलत आवेदन पत्र में दर्शाया वह सही नहीं है। अतः यह अपील कालबाधित के कारण खारिज करने योग्य है।

04 प्रत्यर्थी ने अपलार्थी के अपील ज्ञापन के पारा नं0 1 का कथन तोड़–मोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि ग्राम पिण्डरिया के खाता सं0 04, 01 प्लॉट सं0 441, 442, 599 रकबा 0.32 एकड़ जो नामांतरण प्रत्यर्थी के पक्ष में हुआ है, वह सही है। अंचल अधिकारी नगर उंटारी ने अवलोकन की पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

05 अपील ज्ञापन के पारा नं0 2 में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से सही एवं आंशिक रूप से गलत है। यह सत्य है कि प्रश्नगत प्लॉट की भूमि प्रत्यर्थी के विक्रेता के पूर्वजों की थी। लेकिन अपीलार्थी का यह कथन कि विभिन्न व्यक्तियों का हिस्सा 20 डीसमील एवं 10 डीसमील होता है। वह गलत है। यानी अपीलार्थी ने हिस्सेदारी जो तय की है वह गलत है।

06 अपील ज्ञापन के पारा नं0 3 में अपीलार्थी ने जो हिस्सेदारी की बात की है भी गलत है। साथ ही निम्न न्यायालय के आदेश की जानकारी की तिथि जो अपीलार्थी ने बताई है वो भी गलत है एवं दाखिल खारिज करने के विलम्ब का कारण जो बताया वह समुचित नहीं है।

07 अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन का जो भी आधार बनाया है वह सही नहीं है। अपीलार्थी के अपील ज्ञापन का आधार में क ख ग घ ङ में जो लाया गया है वह आधारहीन है।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

08 अपील ज्ञापन आधार ग में जो तथ्य बनाया गया है उसका निर्धारण करने के लिए अंचल अधिकारी सक्षम पदाधिकारी नहीं है, अतः वह आधार भी अपीलार्थी के अपील ज्ञापन को ही आधार प्रदान नहीं करता है।

09 अपील ज्ञापन के पारा नं0 च में जो आधार बनाया गया है वह पूर्णतः गलत है। निम्न न्यायालय के अभिलेख में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन संलग्न है।

10 निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन में स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि आग इस्तेहार के साथ विवरण भी बनाया गया है, जो न्यायालय के अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त सभी तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के अपील का आधार तथ्यहीन, असत्य एवं मिथ्या पर आधारित है।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थीगण विगत कई तिथि से लगातार अनुपस्थित है। फलतः प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना तथा अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र एवं प्रत्यर्थी का प्रत्युतर तथा अंचल अधिकारी नगर उंटारी के द्वारा प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोंपरान्त पाया कि ग्राम पिण्डरिया के खाता सं0 04, 01 प्लॉट सं0 441, 442, 599 कुल रकबा 0.32 एकड भूमि विक्रेता संतोष प्रसाद पिता रामरूप प्रसाद से केवाला संख्या 1581 दिनांक 13.08.2014 के द्वारा प्रत्यर्थी/क्रेता चाँदनी देवी पति संतोष प्रसाद ने भूमि क्रय किया गया है। अंचल अधिकारी नगर उंटारी के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा रहने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है।

इस आशय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

02/XII

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

02/XII

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.10 15:11:07 +05:30
Location: 192.168.1.35

Scanned with CamScanner